

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज.जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्था0/बून्दी/वी-09/2019/ दिनांक:-

संशोधन आदेश

निदेशालय के समसंख्यक क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्था0/बून्दी/वी-07/2018 /1660 दिनांक 10.12.2018 में क्रम संख्या 04 पर अंकित कार्मिका के नाम राजपती मीणा में आंशिक संशोधन करते हुये राजपती के स्थान पर रामपती पढ़ा जावें।

शेष यथावत



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक:- 14/3/19

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्था0/बून्दी/वी-09/2019/ 343
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को उनके पत्रांक 11 दिनांक 07.01.19 के क्रम में लेख है कि आपके द्वारा पत्रांक 632 दिनांक 31.01.18 में कार्मिका नाम राजपती मीणा अंकित किया था अब रामपती नाम में संशोधन करने के सम्बन्ध आप अपना स्पष्टीकरण भिजवाने का श्रम करें
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर